कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1322/अलीगढ़–मुरादाबाद/7444/2014, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 21, 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : अलीगढ़–मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच0–93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 250 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में किमी0 142.220 से 205.000 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.000 से 232.000 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 454 वृक्षों के पातन **कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/93/2016/एफसी/370, दि0 03.11.2016,
शासन का पत्रांक–भा0स0–239/14–2–2016–800(136)/2016, दिनांक 08.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित त्रुटियों के निराकरण हेतु शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद के पत्रांक–1493/14–1, दिनांक 20.12.2016 द्वारा इंगित त्रुटियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव आज दिनांक 21.12.2016 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः उक्त संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मूल प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–प्रस्ताव की दो प्रतियॉ।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1322 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, **अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद।**
2– प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, **अलीगढ़, बुलन्दशहर, सम्भल एवं मुरादाबाद।**
3– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, मुरादाबाद।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।